राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान जयपुर

क्रमांक--नर्सिंग / नर्स--1 / एल 56 / 2019 / 　　　　　　　　　　　　दिनांक

मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,
भीलवाडा।

विषयः– अपील संख्या 2444 / 2019 लक्ष्मीलाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 16 09 2019 की पालना के संबध मे।

संदर्भः– आपका पत्रांक 6411 दिनांक 19.09 2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र कम में श्री लक्ष्मीलाल शर्मा, नर्स प्रथम ने आज दिनांक 23 09 2019 को उपस्थित होकर माननीय राजस्थान अपील अधिकरण,जयपुर के स्थगन आदेश की प्रति सलंग्न कर कार्यग्रहण करवाने का निवेदन किया है, के क्रम मे लेख है कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.09 2019 की पालना मे विवादग्रस्त आदेश दिनांक 05.09 2019 की पालना मे यदि अपीलार्थी ने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नही किया हो तो कार्यग्रहण करवा कर निदेशालय को अवगत करवावे।

Sd/-
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक--नर्सिंग / नर्स--1 / एल 56 / 2019 / 551 　　　　　　　　　　　दिनांक 30.09.20

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को अपील संख्या 2444 / 2019 लक्ष्मीलाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16 09 2019 की प्रति सलग्न कर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण मे केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का श्रम करावे।
सलंग्नः– उपरोक्तानुसार।

2 श्री लक्ष्मीलाल शर्मा, नर्स प्रथम को पालनार्थ।

3 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर